प्रेस नोट

दिनांक 30.07.2026

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा झपट्टा मार करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से रु0- 4000/- नगद, 01 अदद कीपैड़ फोन, घटना में प्रयुक्त 01 अदद अपाचे मोटरसाइकिल बरामद-

कार्यवाहीः-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभिषेक दवाच्यॅा के नेतृत्व में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-269/2026 धारा 304(2), 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्तगण 01. महेश सोनी पुत्र सुभाष सोनी, 02. कून पासवान पुत्र गुड्डे प्रसाद को तिर्रेमनोरमा की तरफ से आ रहे मार्ग से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से रु0- 4000/- नगद, 01 अदद कीपैड़ फोन, घटना में प्रयुक्त 01 अदद अपाचे मोटरसाइकिल (UP43BE8060) को बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी राजकुमार पुत्र निबरे निवासी ग्राम पड़री पारासराय थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा द्वारा थाना इटियाथोक में लिखित तहरीर दी गई कि वह भट्ठा पर काम करता है तथा दिनांक 28.07.2026 को भट्ठा मालिक से पाँच हजार रूपये लेकर साइकिल से घर जा रहा था तभी तिर्रेमनोरमा रोड़ के पास पहुचा की दो व्यक्ति अपाचे मोटरसाइकिल काले रंग की लेकर खड़े थे। जब उनके करीब पहुचा तभी अचानक उनमें से एक व्यक्ति ने झपट्टा मारकर मेरे सर्ट की जेब से पाँच हजार रूपये व कि-पैड मोबाइल फोन निकाल कर मोटरसाइकिल से भाग गये। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना इटियाथोक में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 30.07.2026 को थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्तगण 01. महेश सोनी पुत्र सुभाष सोनी, 02. कून पासवान पुत्र गुड्डे प्रसाद को तिर्रेमनोरमा की तरफ से आ रहे मार्ग से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से रु0- 4000/- नगद, 01 अदद कीपैड़ फोन, घटना में प्रयुक्त 01 अदद अपाचे मोटरसाइकिल (UP43BE8060) बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. महेश सोनी पुत्र सुभाष सोनी निवासी ग्राम कंचनपुर फरेन्दा शुक्ल थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. कून पासवान पुत्र गुड्डे प्रसाद निवासी ग्राम कंचनपुर फरेन्दा शुक्ल थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-269/2026 धारा 304(2), 317(2) बीएनएस थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. रु0- 4000/- नगद

02. 01 अदद कीपैड़ फोन

03. घटना में प्रयुक्त 01 अदद अपाचे मोटरसाइकिल UP43BE8060

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम-</u>

01. उ0नि0 मो0गुफरान
02. हे0का0 आलोक तोमर
03. हे0का0 प्रभात सिंह

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट</u>

<u>दिनांक 30.07.2026, थाना खोडारे</u>

जनपद गोण्डा।

थाना खोडारे पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे 05 बंडल पाइप व घटना में प्रयुक्त 01 अदद ट्रक बरामद-

कार्यवाहीः-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालिवाल के नेतृत्व में थाना खोडारे पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-203/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त 01. मोहम्मद आसीफ उर्फ हसीन पुत्र स्व0 हसीब को कुडासन डिहवा थाना मनकापुर से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 05 बंडल पाइप बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी कर्मवीर सिंह पुत्र विरेन्द्र पाल सिंह निवासी ग्राम भटपुरा मिश्रा थाना निगोई जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना खोडारे में लिखित तहरीर दी गई कि वह ठेकेदारी का काम करता है जो ग्राम पंचायत तरैनी व दौलतपुर ग्राण्ट में ठेका लिया है। जहाँ कम्पनी का पाइप अपने ठेका के लिए रखा था। दिनांक 27.07.2026 को सुबह पहुचा तो वहाँ पाइप नही था। काफी खोज बीन किया नही मिला। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना खोडारे में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 30.07.2026 को थाना खोडारे पुलिस द्वारा प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त 01. मोहम्मद आसीफ उर्फ हसीन पुत्र स्व0 हसीब को कुडासन डिहवा थाना मनकापुर से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद ट्रक व 05 बंडल पाइप बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खोडारे पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मोहम्मद आसीफ उर्फ हसीन पुत्र स्व0 हसीब निवासी नबीगंज थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-203/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना खोडारे जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद ट्रक
02. 05 बंडल पाइप

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद
02. हे0का0 अजय शुक्ला
03. हे0का0 योगेश पासवान
04. का0 मनोज यादव

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट

दिनांक 30.07.2026, थाना कोतवाली नगर,

जनपद गोण्डा।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के 01 आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री योगेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-275/2026, धारा 191(2), 115(2), 118(1), 352, 351(3), 109(1) बीएनएस से सम्बन्धित 01 आरोपी अभियुक्त- प्रथम सोमानी पुत्र कमल सोमानी निवासी रानीबाजार थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा को मारूति चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी आशीष कुमार मिश्र पुत्र प्रहलाद चन्द मिश्र निवासी छेदीपुरवा, स्टेशन रोड गोण्डा द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि उनके पेट्रोल पम्प पर मुकेश कुमार पुत्र जगदम्बा प्रसाद व मुकेश कुमार तिवारी सेल्समेन का कार्य करते है। दिनांक 27.03.2026 को रात्रि में एक व्यक्ति द्वारा बोतल में पेट्रोल भरने को कहा मना करने पर गाली गुप्ता व धमकी देते हुए चला गया। फिर जब सेल्समैनो द्वारा पेट्रोल पम्प बन्द करके निकट बाबा ढाबा पर खाना खा रहे थे तभी विपक्षी राज सोनी व उनके सहयोगी साथ में चाकू लेकर आये और मारने पीट कर गम्भीर रुप से घाटल कर दिये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। दिनांक 02.07.2026 को राज सोनी पुत्र सोहन लाल सोनी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

आज दिनांक 30.07.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा नामजद आरोपी अभियुक्त- 01. प्रथम सोमानी पुत्र कमल सोमानी निवासी रानीबाजार थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा को मारूति चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. प्रथम सोमानी पुत्र कमल सोमानी निवासी रानीबाजार थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0-275/2026, धारा 191(2), 115(2), 118(1), 352, 351(3), 109(1) बीएनएस कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1. उ0नि0 योगेश यादव
2. का0 अमित तोमर

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 30.07.2026, थाना को0 नगर
जनपद गोण्डा।

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा बंधक बनाकर जबरन रूपये की माँग करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री योगेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 - 709/2026 धारा 127(2), 308(5), 115(2), 351(3) बीएनएस से सम्बन्धित नामजद वांछित अभियुक्त- शिवानन्द पाण्डेय पुत्र राजेश पाण्डेय को सतईपुरवा के रेलवे लाइन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी प्रवीण कुमार यादव पुत्र स्व0 कर्ताराम यादव निवासी ग्राम अधीनपुर पो0रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर द्वारा थाना को0नगर में लिखित तहरीर दी गई कि विपक्षी अवधेश कुमार पाण्डेय द्वारा जमीन के व्यवसाय में 30 लाख रुपये निवेश कराने का झांसा देकर उसे बाराबंकी ले जाकर निवेश के लिए तैयार किया। बाद में रुपये की मांग करने पर 28.07.2026 को गोंडा बुलाया और ड्रीम पैलेस होटल के सामने से अपने साथियों के साथ कार में बैठाकर अज्ञात रास्ते पर ले जाकर सुनसान जगह ले जाकर गाड़ी रोक दी। वहां वादी के साथ मारपीट की, रिश्तेदारों को फोन कर जान से मारने की धमकी दी तथा रुपये की मांग करते हुए दबाव बनाया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर पर सुसंगत धाराओं में नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया।
आज दिनांक 30..07.2026 को नामजद वांछित अभियुक्त - शिवानन्द पाण्डेय पुत्र राजेश पाण्डेय निवासी रानीपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को सतईपुरवा के रेलवे लाइन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. शिवानन्द पाण्डेय पुत्र राजेश पाण्डेय निवासी रानीपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0 - 709/2026 धारा 127(2), 115(2), 351(3), 308(5) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-
01. प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वरीमणि त्रिपाठी थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
02. का0 बिपिन यादव
03. रि0का0 आदित्य मिश्रा

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 30.07.2026

ऑपरेशन साइबर कवच के दृष्टिगत थाना इटियाथोक की साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा पीड़ित की फ्रॉड गयी 40,589/- रूपये कराए गए वापस, पैसे वापस मिलने पर पीड़ित के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीड़ित ने गोण्डा पुलिस को किया धन्यवादः-

जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड अपराध की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के मार्गदर्शन में थाना इटियाथोक की साइबर हेल्प डेस्क की टीम द्वारा पीड़ित की फ्रॉड गयी धनराशि को सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए धनराशि 40,589/- पीड़ित के खाते में वापस करायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आवेदक अकबर अली पुत्र मजीद निवासी सिकली पुरवा विजय गढ़वा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा द्वारा थाना इटियाथोक की साइबर हेल्प डेस्क में साइबर फ्रॉड के संबंध में शिकायत दर्ज करायी गयी थी। साइबर फ्राड गिरोह द्वारा उनके क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शापिंग की गयी है। उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए थाना इटियाथोक की साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा जनपदीय साइबर सेल टीम की सहयोग से कार्यवाही करते हुए संबंधित बैंक से ईमेल के माध्यम से विभिन्न जानकारियां एकत्रित कर नोडल अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर तत्काल कार्यवाही करते हुए सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए पीड़ित के 40,589/- रू0 की धनराशि वापस करायी गयी। पीड़िता द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए थाना तरबगंज की साइबर हेल्पडेस्क की टीम को धन्यवाद दिया गया।

नोट- साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर सूचना अंकित कराये, सूचना विलम्ब से देने पर साइबर अपराधियों द्वारा धन निकाल लिया जाता है। धन निकलने के उपरान्त पैसे वापस होने की सम्भावना बहुत कम होती है। लोगो को साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं थाना पर गठित साइबर सेल को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएँ।

साइबर सुरक्षा टिप्स-

01. ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें

मीडिया सेल, गोण्डा।